राजस्थान सरकार
राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू
छात्रसंघ चुनाव 2022–23

आचार संहिता

राजस्थान सरकार, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्र क्रमांक 3(54)शिक्षा–4/2002 पार्ट दिनांक 29.07.2022 एवं श्रीमान आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.7(4) छात्रसंघ चुनाव/आकद/आकाशि/2022/653 दिनांक 08.08.2022 की अनुपालना में महाविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव 2022 दिनांक 26.08.2022 को सम्पन्न करवाये जाने हैं। छात्रसंघ चुनाव के सम्बन्ध में प्राप्त लिंगदोह समिति की f lQkfj'kksa एवं उच्च शिक्षा विभाग का सन्दर्भित पत्र दिनांक 25.06.2010 के अनुरूप छात्रसंघ चुनाव कराये जाने हेतु दिशा निर्देष (संविधान) के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार उम्मीदवारों एवं चुनाव **प्रशासकों** हेतु निम्न प्रकार से आचार संहिता की पालना सुनिष्चित की जानी है :–

उम्मीदवारों व चुनाव प्रशासकों हेतु आचार संहिता :–

1. कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी प्रक्रिया/गतिविधि में लिप्त नहीं होगा, ना ही ऐसी किसी क्रिया/गतिविधि का उत्त्प्रेरण करेगा जो कि उपस्थित मतभेदों को बढ़ावा देवे या आपसी वैमनस्य या विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, धार्मिक अथवा भाषायी या विद्यार्थियों के किसी समुदाय या समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करे।
2. दूसरे उम्मीदवारों की आलोचना जब भी की जायेगी तब वह उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, उनके पूर्व रिकार्ड व कार्यों तक सीमित होगी। उम्मीदवार निजी जीवन के सभी पक्षों की आलोचना से बचेंगे जो अन्य उम्मीदवारों की सामाजिक गतिविधियों या उनके समर्थकों से सम्बन्धित नहीं हो। असत्यापित आरोपों व विद्रूपताओं पर आधारित अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की आलोचना से बचा जाएगा।
3. मत प्राप्ति हेतु जातीय अथवा साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं की जाएगी। पूजास्थल चाहे वे परिसर के अन्दर अथवा बाहर हों, चुनाव प्रचार हेतु इस्तेमाल नहीं किये जायेंगे।
4. सभी उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों/कार्यों में लिप्त होने या उनके उत्पीड़न करने से प्रतिबन्धित किया जाएगा जो कि भ्रष्ट आचरण एवं अपराध माने जाते हैं जैसे कि मतदाताओं को रिष्वत देना, मतदाताओ को डराना–धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में प्रचार या use of propaganda, चुनाव के आखरी घण्टे से 24 घण्टे पूर्व के समय में जनसभा आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर लाना और वापिस छोड़ना।
5. किसी भी उम्मीदवार को छपे हुए पोस्टर्स, या किसी अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार प्रचार के वास्ते केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग कर सकेंगे तबकि जब ऐसे हस्तनिर्मित पोस्टर्स उपर्युक्त लिखित व्यय सीमा के अन्तर्गत बनाये गये हों।
6. उम्मीदवार केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग परिसर में कुछ जगहों पर कर सकेंगे जो कि पूर्व में ही महाविद्यालय **प्रशासन** द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे।
7. किसी भी उम्मीदवार को महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियां, जनसभा या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।
8. कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी भी उद्देष्य हेतु महाविद्यालय परिसर में किसी सम्पति को खण्डित अथवा नष्ट करने पर सभी उम्मीदवार संयुक्त रूप से एवं बारम्बार ऐसा विध्वंस अथवा खण्डन करने के दोषी होंगे।
9. चुनाव के दौरान महाविद्यालय परिसर में उम्मीदवार रैलियां निकाल सकते हैं, और जनसभा कर सकते हैं यदि ऐसी रैलियां या जनसभा किसी भी प्रकार से महाविद्यालय में चलने वाली कक्षाओं तथा दूसरी शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न न करें, साथ ही यह भी कि ऐसी रैली अथवा जनसभा को बिना महाविद्यालय *प्रशासन* की पूर्व लिखित अनुमति के आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
10. प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, वाहनों और जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।

11. मतदान के दिन छात्र संगठन एवं उम्मीदवार :—

अ. उम्मीदवार चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित अफसरों से सहयोग करेंगे। इस वास्ते कि शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिष्चित हो सके और मतदाताओं को अपना मताधिकार करने हेतु पूर्ण स्वतंत्रता होगी, बिना किसी नाराजगी या व्यवधान के।

ब. मतदान दिवस को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या दूसरी ठोस अथवा तरल भोज्य सामग्री वितरित नहीं करेंगे, पानी को छोड़कर।

स. मतदान दिवस को किसी प्रकार का प्रचार/प्रचार सामग्री नहीं बांटेंगे।

12 मतदाताओं के अलावा अन्य कोई भी बिना किसी वैध पास/अधिकार पत्र के महाविद्यालय के मतदान केन्द्रों में **प्रवेश** नहीं करेगा।

13 महाविद्यालय **प्रशासन** द्वारा निष्पक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाएंगे। यदि उम्मीदवारों को चुनावों के संचालन से सम्बन्धित कोई **विशेष शिकायत** अथवा समस्या हो तो वे उस समस्या को पर्यवेक्षक के ध्यान में लायेंगे।

14 मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के भीतर मतदान क्षेत्र की सफाई **सुनिश्चित** करना सभी उम्मीदवारों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी।

15 उपरोक्त **सिफारिशों** में से किसी का भी उल्लंघन करने पर उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी खो देगा या उसे निर्वाचित पद से भी वंचित किया जा सकेगा। जैसा कि *प्रसंगवश* हो। ऐसे उल्लंघनकर्त्ता के विरूद्ध समुचित **अनुशासनात्मक** कार्यवाही भी की जा सकेगी।

16 उपरोक्त वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान (sec 153 A and chapter IX A- चुनावों से सम्बन्धित अपराध) भी छात्रसंघ चुनावों पर लागू किये जा सकेंगे।

चुनाव सम्बन्धी व्यय एवं वित्तीय जवाबदेही

1. प्रति उम्मीदवार अधिकतम 5000/— रूपये के व्यय की अनुमति है।
2. चुनाव परिणाम के घोषित होने के दो सप्ताह के अन्दर हर उम्मीदवार महाविद्यालय को पूर्ण एवं अंकेक्षित लेखे सुपुर्द करेगा। महाविद्यालय ऐसे अंकेक्षित लेखों को एक उचित माध्यम के द्वारा प्राप्त होने के दो दिवस के अन्दर *प्रकाशित* कराएगा, जिससे कि छात्र निकाय का कोई भी सदस्य उनका स्वतन्त्र परीक्षण कर सके।
3. किसी भी प्रकार से उम्मीदवार द्वारा उक्त निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च किये जाने पर उस उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जाएगा।
4. छात्र चुनाव प्रक्रिया में राजनीति दलों से रूपयों की आवक को रोकने हेतु उम्मीदवारों पर छात्र निकाय द्वारा स्वैच्छिक योगदानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्रोत से कोई *धनराशि* लेना *विशेष* रूप से प्रतिबन्धित है।

प्राचार्य
छात्रसंघ चुनाव 2022—23
लोहिया महाविद्यालय, चूरू